न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.–.......155..../2024

प्रेम प्रकाश पुत्र गंगाधर जाति तारग निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 01/07/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की माता के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता सं. 227 के खसरा सं. 746 तादादी 6.1075 हेक्ट. तथा खाता सं. 1302 के खसरा सं. 105 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा सं. 106 तादादी 5.3488 हैक्ट., खसरा सं. 107 तादादी 3.9073 हैक्ट कुल तादादी 11.1402 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी की माता का नाम रिदुदेवी पत्नी गंगाधर अंकित है। जो गलत है, जवकि प्रार्थी की माता का नाम राधा देवी पत्नी गंगाधर नाम सही हैं। प्रार्थी की माता के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में नाम राधा देवी पत्नी गंगाधर है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही साहवा तहसील तारानगर के खाता सं. 227 के खसरा सं. 746 तादादी 6.1075 हेक्ट. तथा खाता सं. 1302 के खसरा सं. 105 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा सं. 106 तादादी 5.3488 हैक्ट., खसरा सं. 107 तादादी 3.9073 हैक्ट कुल तादादी 11.1402 हैक्ट. में प्रार्थी की माता राधा देवी पत्नी गंगाधर का स्वर्गवास हो गया है उक्त भूमि के प्रार्थी की माता भी सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड मे मृतक राधा देवी पत्नी गंगाधर का नाम भी गलत दर्ज है जो रिदुदेवी पत्नी गंगाधर अंकित है। अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण आदि पत्र में सही नाम राधा देवी पत्नी गंगाधर दर्ज है। अतः प्रार्थी की माता का नाम राधा देवी पत्नी गंगाधर दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपनी माता के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपनी माता का नाम रिदुदेवी पत्नी गंगाधर की जगह राधा देवी पत्नी गंगाधर करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपनी माता का नाम रिदुदेवी पत्नी गंगाधर ही दर्ज है। अतः प्रार्थी अपनी माता का नाम रिदुदेवी पत्नी गंगाधर की जगह राधा देवी पत्नी गंगाधर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से प्रार्थी की माता का दस्तावेजीय नाम राधा देवी पत्नी गंगाधर पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता सं. 227 के खसरा सं. 746 तादादी 6.1075 हेक्ट. तथा खाता सं. 1302 के खसरा सं. 105 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा सं. 106 तादादी 5.3488 हैक्ट., खसरा सं. 107 तादादी 3.9073 हैक्ट कुल तादादी 11.1402 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी की माता का नाम **रिदुदेवी पत्नी गंगाधर** के स्थान पर **राधा देवी पत्नी गंगाधर** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ..01/07/2024... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर (चूरू)